

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-311 / 2012संस्थित दिनांक-23.05.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. विपिन पुत्र महेश शर्मा उम्र 35 साल
  2. अशोक पुत्र कैलाशनारायण शर्मा उम्र 55 साल
  - फौत- 3. अवधेश पुत्र अशोक शर्मा
  4. बाली पुत्र प्रेमनारायण शर्मा उम्र 33 साल
- निवासी ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा

जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 25.09.2017. को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.02.12 को दिन के 2 बजे या उसके लगभग ग्राम बिरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अनिल तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लातघूंसे/कट्टे के बट से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी अनिल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फौत हो जाने से अभियुक्त क्र0 3 अवधेश के विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की गयी। इस निर्णय द्वारा शेष अभियुक्तगण के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 12.02.12 को फरियादी अनिल शर्मा अपने घर जा रहा था। लक्ष्मी की दुकान के पास पहुंचा तो अभियुक्तगण आए और अश्लील गालियां देने लगे, कहने लगे मादरचोद तूने हमारा क्या बिगाड लिया, तूने जमीन बेची, कहे तो तुझे अभी मारे, कहकर विपिन ने कट्टे का बट मारा जो बांयी तरफ लगा, चोट लगकर खून आ गया। एक घूंसा

अवधेश ने मारा जो बांयी आंख पर लगा, नील पड गया। विपिन और बाली ने पकड़कर थप्पड़ घुंसी से मारपीट की। खीचकर ले जाने लगे और बोले कि तुझे आज अधिया से मार डालेंगे तब तक रामशरण और संजू आ गए जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव कराया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0 24/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का मेडीकल कराया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 12.02.12 को दिन के 2 बजे या उसके लगभग ग्राम विरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अनिल तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या घटना, दिनांक एवं सुसंगत समय पर आहत अनिल को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
3. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लातघूंसे/कट्टे के बट से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी अनिल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनिल अ0सा0 1, संजय अ0सा0 2, डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3, गोपसिंह अ0सा0 4, को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी अनिल शर्मा अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना करीब चार साल पहले दोपहर की ग्राम बिरखडी की है। उसे अभियुक्तगण घर से पकड़ ले गए और अपने घर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण ने उसे डण्डे और थप्पड़ों से मारा जिससे उसकी आंख, छाती व

पैर में चोट आई थी। उक्त संबंध में थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट प्र0पी0 1 किया जाना बताते हैं जिस पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर प्रमाणित करते हैं। नक्शामौका प्र0पी0 2 बताकर उस पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं करता इस कारण से न्यायालय की अनुमति से पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया कि वह बंगला से अपने घर जा रहा था और लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचा तो आरोपीगण उससे बोले कि मादरचोद तूने हमारा क्या बिगाड लिया, तूने जमीन ले ली और कहाकि तुझे अभी मारें। इस तथ्य से भी इंकार करता है कि विपिन ने उसके सिर में दांयी तरफ कट्टा मारा जिससे चोट होकर खून निकल आया। मात्र इस तथ्य को स्वीकार किया कि अवधेश ने उसकी बांयी आंख पर घूंसा मारा जिससे नील पड गया तथा अभियुक्त विपिन व बाली ने पटककर लातघूंसां से मारपीट की। साक्षी इस प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 के तथ्यों से विरोधाभासी कथन करता है। साक्षी प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में बी से बी भाग एवं पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दफ्तर प्र0पी0 3 के ए से ए भाग पर उक्त तथ्य घटना स्थल लक्ष्मी की दुकान के पास अभियुक्तगण द्वारा घेरकर उसे गालियां देने तथा सिर में विपिन द्वारा कट्टा मारने के तथ्यों को लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार करता है।

8. प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी संजय तथा रामकिशन बताए गए हैं जिनमें से संजय अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में घटना का कोई भी समर्थन नहीं करते। साक्षी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभियोजन के सुझाव दिए गए जिससे साक्षी ने इंकार किया। पुलिस कथन प्र0पी0 4 में उल्लेखित तथ्यों को लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है।

9. फरियादी अनिल अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण में उसको मारपीट में बांयी आंख पर नील की चोट, छाती व पैर में चोट आने का कथन किया है। प्रकरण में डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 चिकित्सीय साक्षी के रूप में परीक्षित कराए गए जो दिनांक 12.02.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आहत अनिल शर्मा पुत्र परशुराम शर्मा का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसे निम्न चोटें पाए जाने का कथन करते हैं—

1—बांयी भौंह पर 1.5 गुणा 1 सेमी0 का रगड का निशान, आंख के उपर सूजन थी।

2—नीचें के ओंठ पर 3 गुणा 1.5 सेमी0 नील का निशान।

3—सिर में दांयी तरफ 1.5 गुणा 0.3 गुणा 0.4 सेमी0 का फटा घाव था।

उक्त आहत को आई चोटें कडी व भौथरी वस्तु से व परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की आने के संबंध में अपनी राय देते हैं। परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 5 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से जो चोटें आहत द्वारा बताई गयी हैं उनकी अभिपुष्टि चिकित्सीय साक्षी से

नहीं होती है। चिकित्सीय साक्ष्य एवं आहत की साक्ष्य में अंतर्विरोध मौजूद है जिससे प्रकरण विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

10. प्रकरण में फरियादी अनिल शर्मा द्वारा अभिसाक्ष्य में इस तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है कि उसे अभियुक्त विपिन द्वारा सिर में दांयी तरफ कट्टे का बट मारकर स्वेच्छा उपहति कारित की गयी, जबकि चिकित्सक द्वारा उसे परीक्षण में दिनांक 12.02.12 को सिर में दांयी तरफ फटा घाव होना पाया था। साक्षी उसके बांयी आंख में अवधेश द्वारा घूसा मारकर नील चोट पहुंचाए जाने का कथन किया है जबकि चिकित्सक ने बांयी भौं पर रगड़ का निशान मात्र पाने और आंख पर सूजन पाने का कथन किया है। आहत उसके छाती व पैर में लातघूसों, डण्डे, थप्पड़ों से चोटें होना बताते हैं, जबकि चिकित्सक द्वारा आहत को घटना दिनांक को कोई भी चोट छाती व पैर में पाए जाने की पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार से जो चोटें आहत ने अभियुक्तगण द्वारा कारित किए जाने के संबंध में कथन किया है उनके विपरीत भिन्न चोटें चिकित्सक द्वारा पाने का कथन किया है। ऐसे में यदि आहत को उसके द्वारा बताई गयी चोटें मौजूद थी तो चिकित्सक द्वारा वे क्यों नहीं पाई गयी, इसका कोई समुचित कारण अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में उक्त तथ्यों के संबंध में अभियोजन के मामले में गंभीर दोष विद्यमान हैं।

11. आहत अनिल शर्मा अ0सा0 1 जो अपने अभिसाक्ष्य में यह बताता है कि अभियुक्तगण उसे उसके घर से पकड़कर अपने घर ले गए और वहां उसकी मारपीट की गयी। साक्षी ने नक्शामौका प्र0पी0 2 घटना स्थल पर बनाए जाने का कथन किया है और कण्डिका 3 में यह बताया है कि पुलिस को आरोपीगण के घर पर मारपीट होना बताया था वहीं लेख किया गया था जबकि गोपसिंह अ0सा0 4 जो कि अनुसंधानकर्ता हैं, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बताते हैं कि फरियादी द्वारा घटनास्थल आम रास्ता बताया गया था और यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नक्शामौका में जो मकान बताए हैं उनके संबंध में अन्य किसी से पूछताछ नहीं की। नक्शामौका प्र0पी0 2 अभिलेख पर है जिसमें घटनास्थल किसी व्यक्ति विशेष का घर न होकर आम रास्ता विरखडी में माताप्रसाद के खेत एवं मनोज पुत्र लक्ष्मीनारायण की दुकान के सामने अंकित किया गया है। इस प्रकार से फरियादी द्वारा अभिकथित घटनास्थल के संबंध में तथ्य अभियोजन के दस्तावेजों से सारवान भिन्नता रखते हैं।

12. प्रकरण में फरियादी अनिल शर्मा अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में न तो यह बताने में समर्थ है कि घटना किस दिन, महीने, तारीख की है। यह भी बताने में अस्मर्थ है कि रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखाया था। यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि रिपोर्ट करने के डेढ़ साल तक अपने गांव नहीं आए जबकि आगे कथन करते हैं कि पुलिस ने गांव में आकर 4-5 दिन बाद उनके हस्ताक्षर कराए थे। इस प्रकार से यह साक्षी अनुसंधान में अभिग्रहित साक्ष्य को संदिग्ध बना देता है। साक्षी कण्डिका 4 में



कथन करता है कि उसकी आरोपीगण के घर पर मारपीट हुई थी तथा उसके घर पर पकड़ा था जहां उसकी मारपीट हुई थी। यह साक्षी बताता है कि उसने दोनों बातें पुलिस को कथन में बता दी थीं किन्तु पुलिस कथन में उक्त बातें लेख नहीं हैं। फरियादी अनिल द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह तथ्य स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका लड़ाई झगड़ा इसी दिन से शुरू हुआ और इसी कारण से वह जेल में हैं। यहां उल्लेखनीय है कि साक्षी दिनांक 25.01.17 को अभिसाक्ष्य हेतु प्रोडक्शन वारंट से उपस्थित कर उसका साक्ष्य लिया गया। ऐसे में अभियुक्तगण से फरियादी अभिकथित रंजिश का समर्थन स्वयं फरियादी के अभिसाक्ष्य से हो रहा है।

13. दाण्डिक विधि के अधीन यद्यपि उपहृत साक्षी की अभिसाक्ष्य को अधिक बल दिया जाता है किन्तु यदि उपहृत साक्षी की साक्ष्य संदिग्ध परिस्थितियों से परे हो तथा अन्य अभिसाक्ष्य से उसका समर्थन होता हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। जहां उपहृत साक्षी की अभिसाक्ष्य से अभियोजन दस्तावेजों की अनन्यता प्रश्नचिन्हित होती हो, साथ ही उपहृत साक्षी द्वारा अभिकथित चोटों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी हो वहां आधे अधूरे विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। हाल ही में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Indra devi & ors. Vs. State of Himachal pradesh 2016 (2)**

**C.C.S.C. 1129 (S.C.)** में उपहृत साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंध में अभिव्यक्त किया—

Para-7. “The proposition of law that an injured witness is generally reliable is no doubt correct but even an injured witness must be subjected to careful scrutiny if circumstances and materials available on record suggest that he may have falsely implicated some innocent persons also as an after thought on account of enmity and vendetta. The trial court erred in not keeping this in mind.”

इस प्रकार से उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर फरियादी अनिल शर्मा की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। साथ ही अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयिलैण्डी व**

**अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807** में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि “विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए “सत्य हो सकेगा” की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से “सत्य होना चाहिए” के संवर्ग में उसे

उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

15. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.02.12 को दिन के 2 बजे या उसके लगभग ग्राम विरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अनिल तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लातघूंसे/कट्टे के बट से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी अनिल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 323/34 एवं 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

17. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

18. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)